दिनांक **22.01.2025** को आयोजित नराकास(का-1), जयपुर की **88**वीं अर्द्धवार्षिक बैठक का कार्यवृत्त

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (का-1), जयपुर की 88वीं अर्द्धवार्षिक बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2025 को अपराह्न 3:00 बजे से कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), राजस्थान, जयपुर के प्रशिक्षण हॉल में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता प्रधान महालेखाकार श्री प्रवीन्द्र यादव ने की। बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री सतीश कुमार गर्ग, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-II), श्रीमती प्रतिमा गुप्ता, (महाप्रबंधक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जयपुर) और श्री सुग्रीव मीना, (प्रधान आयुक्त, कार्यालय सीमा शुल्क निवारक जोधपुर मुख्यालय जयपुर) तथा राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि सहायक निदेशक श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा एवं हिंदी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक श्री राजेश मीना उपस्थित रहे। बैठक के प्रारंभ में सभी उपस्थित सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख/प्रशासनिक प्रधान/प्रतिनिधिगण का स्वागत किया गया तथा उनका परिचय लिया गया।

बैठक की कार्रवाई को आगे बढाते हुए दिनांक 29.08.2024 को आयोजित 87वीं अर्द्धवार्षिक बैठक के कार्यवृत्त, जिसकी प्रतियां सभी कार्यालयों को दिनांक 13 सितम्बर 2024 को ईमेल द्वारा भिजवाई गयी थी, उसकी पुष्टि बैठक में उपस्थित कार्यालय प्रमुखों व प्रतिनिधिगणों द्वारा करवाई गई। तत्पश्चात सदस्य कार्यालयों से प्राप्त हिंदी छमाही प्रतिवेदन (अवधि 01.07.2024 से 31.12.2024) के आधार पर राजकाज में किए गए हिंदी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा हिंदी अधिकारी डॉ. सुभाष चन्द यादव द्वारा प्रस्तुत की गई ।

छमाही प्रगति प्रतिवेदनों की समीक्षा:-

इस समिति के कुल 64 सदस्य कार्यालयों में से 53 कार्यालयों से छमाही प्रतिवेदन प्राप्त हुए, जिसके आधार पर छमाही प्रगति प्रतिवेदनों की समीक्षा की गयी।

1. **राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत कुल 51 कार्यालयों द्वारा दस्तावेज जारी किए गए हैं । नियमानुसार ये द्विभाषी रूप में जारी करने होते हैं ।**

इनमें से 44 कार्यालयों द्वारा जो दस्तावेज जारी किए हैं, वे द्विभाषी रूप में ही जारी कर धारा 3(3) की शत प्रतिशत अनुपालना की गई है ।

01 कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले दस्तावेज द्विभाषी न जारी कर केवल हिंदी में ही जारी किए हैं इनमें हैं : क्रम संख्या 49(**दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, जयपुर)**

02 कार्यालयों द्वारा जो दस्तावेज जारी किए हैं वे कुछ केवल अंग्रेजी में तथा कुछ द्विभाषी जारी किए गए हैं ।(क्रम संख्या 29(**उप अधीक्षण पुरातत्व रसायनज्ञ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर)**, क्रम संख्या 60 (**कार्यालय होटल प्रबंध खानपान तकनीकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, जयपुर**)

02 कार्यालयों द्वारा जो दस्तावेज जारी किए गए है वे कुछकेवल हिंदी एवं कुछ द्विभाषी जारी किए गए हैं । इनमें हैं क्रम संख्या 02(**कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राज. जयपुर**) एवं क्रम संख्या 44 (**सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, जयपुर)**

02 कार्यालयों द्वारा जो दस्तावेज जारी किए हैं वे कुछकेवल हिंदी में, कुछ केवल अंग्रेजी में तथा

कुछ द्विभाषी जारी किए गए हैं ।(क्रम सख्या 18 **(कैंटीन भण्डार विभाग,रक्षा मत्रालय, जयपुर)**, क्रम सख्या 27 **(इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जयपुर**)

2. **राजभाषा नियम 5 अर्थात यदि पत्र हिंदी में प्राप्त होते हैं तो उनका उत्तर हिंदी में ही देना होता है।** इसके अन्तर्गत 01 कार्यालय द्वारा कुछ पत्र अंग्रेजी में जारी कर इस नियम की पालना नहीं की गई। (क्र.स. 56 **(कार्यालय अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी क्षेत्रीय परिसर जयपुर**)
3. राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार "क" व "ख" क्षेत्र में प्रेषित किए जाने वाले हिंदी में मूल पत्राचार हेतु 100 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित है । इसमें "क" क्षेत्र में 25 कार्यालयों द्वारा 99 प्रतिशत से ऊपर एवं 100 प्रतिशत तथा "ख" क्षेत्र में 22 कार्यालयों द्वारा 100 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की गई तथा 20 कार्यालयों ने "ख" क्षेत्र में कोई भी पत्र जारी नहीं किया है। शेष कार्यालयों को "क" व "ख" क्षेत्र में प्रेषित किए जाने वाले हिंदी में मूल पत्राचार हेतु निर्धारित 100 प्रतिशत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना होगा। "ग" क्षेत्र में जहां पत्राचार का लक्ष्य 65% है। 03 कार्यालयों (क्रम संख्या 18 **(कैंटीन भण्डार विभाग,रक्षा मंत्रालय, जयपुर)**, क्रम संख्या 37 **(उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, जयपुर**), क्रम संख्या 46 **(राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय राजस्थान, जयपुर**) ने लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है तथा 32 कार्यालयों ने "ग" क्षेत्र में कोई भी पत्र जारी नहीं किया है, शेष 25 कार्यालयों ने लक्ष्य प्राप्त किया है ।

4. हिंदी टिप्पण लेखन में 75 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित है। 05 कार्यालयों को छोड़कर शेष सभी ने लक्ष्य प्राप्त किए हैं जो निम्नानुसार हैं :-

   क्रम संख्या 16**(अग्रवर्ती मुख्यालय (पश्चिम वायु कमान) जयपुर, जयपुर)**
   क्रम संख्या 27**(इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जयपुर)**
   क्रम संख्या 30**(कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, राजस्थान सर्किल, जयपुर)**
   क्रम संख्या 36(**प्रवर्तन निदेशालय, जयपुर**) एवं
   क्रम संख्या 46**(राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय राजस्थान, जयपुर)**

5. वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यानुसार प्रत्येक तिमाही में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है परन्तु 02 कार्यालयों(क्रम संख्या 18**(कैंटीन भण्डार विभाग,रक्षा मंत्रालय, जयपुर)** एवं क्रम संख्या 36**(प्रवर्तन निदेशालय, जयपुर**) द्वारा छमाही के दौरान एक भी विभागीय तिमाही बैठक का आयोजन नहीं किया गया है तथा 07 कार्यालयों (क्रम संख्या 06, 20, 27, 28, 31, 39 एवं 56) ने छमाही के दौरान केवल एक ही विभागीय तिमाही बैठक का आयोजन किया है ।
6. इसके साथ ही प्रत्येक तिमाही में एक तथा छमाही में दो पूर्ण दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना अनिवार्य है । 38 कार्यालयों ने इसका पालन किया है; 10 कार्यालयों (क्रम संख्या 05, 13, 18, 20, 27, 29, 36, 38, 39 एवं 49) ने इस छमाही में एक भी कार्यशाला आयोजित नहीं की है और 05 कार्यालयों(क्रम संख्या 28, 31, 54, 57 एवं 60) द्वारा एक ही कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

अध्यक्षीय सम्बोधन:-

प्रधान महालेखाकार और अध्यक्ष नराकास (का-1) श्री प्रवीन्द्र यादव ने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि नराकास की बैठक जयपुर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए हिंदी में काम करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों एवं बाधाओं पर विचार विमर्श का एक उपयुक्त मंच प्रदान करती है। साथ ही, उन्होंने हिंदी में कार्य करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक एवं सॉफ्टवेयर के समुचित प्रयोग करने का सुझाव दिया।

इसके बाद उन्होंने सभी कार्यालयों से अपील की कि आगामी बैठक में सदस्य कार्यालयों द्वारा राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में किये गए किसी नवाचार और बेहतर प्रथाओं पर एक प्रस्तुतीकरण दिया जा सकता है जिससे अन्य कार्यालय भी ऐसी बेहतर प्रथाओं को अपने कार्यालय में लागू करने को प्रेरित हो सकेंगे।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि का संबोधन

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा ने कहा कि समस्त कार्यालय हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना और वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों के अनुसार कार्यशाला, तिमाही बैठक व हिंदी से जुड़ी अन्य गतिविधियाँ आयोजित किया जाना भी सुनिश्चित करें । उन्होंने धारा 3(3) व नियम 5 का उल्लंघन करने वाले कार्यालयों से अनुरोध किया कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो । इसके बाद उन्होंने छमाही प्रतिवेदन न भेजने वाले कार्यालयों का नामोल्लेख करते हुए उन सभी कार्यालयों से आग्रह किया कि छमाही प्रतिवेदन नराकास को अंतिम तिथि से पूर्व समय पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

साथ ही उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए-

(क) उन्होंने सभी कार्यालय प्रमुखों से अनुरोध किया कि वे अपने कार्यालयों में हिंदी के रिक्त पदों को भरने हेतु सक्रियता से काम करें ।

(ख) उन्होंने आग्रह किया कि नराकास की बैठकों को गंभीरता से लेते हुए कार्यालय प्रमुख/प्रशासनिक प्रधान की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

(ग) उन्होंने सुझाव दिया कि राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध विभिन्न हिंदी टाइपिंग टूल्स और अनुवाद टूल कंठस्थ 2.0 का अधिकाधिक प्रयोग करें।

(घ) उन्होंने सभी कार्यालयों से आग्रह किया कि वे अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन भिजवायें और आगामी बैठक में 100% कार्यालयों से छमाही प्रतिवेदन भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

सदस्य कार्यालयों के समस्या/सुझाव पर टिप्पणी:-

एक सदस्य कार्यालय ने कार्यशालाओं में व्याख्यान देने के लिए वक्ताओं की सूची उपलब्ध करवाने का आग्रह किया तथा नराकास की बैठक ऑनलाइन/हाइब्रिड मोड में आयोजित किये जाने का सुझाव दिया। इस पर राजभाषा विभाग के सहायक निदेशक ने राजभाषा विभाग के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि छमाही बैठक केवल ऑफलाइन ही आयोजित की जा सकती है। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि हिंदी के विशेषज्ञों को विश्वविद्यालय या अन्य किसी संस्थान से भी आमंत्रित किया जा सकता है|

अगली बैठक की तिथि की घोषणा:-

सभी सदस्य कार्यालयों की सहमति से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (का-1) जयपुर की अगली 89वीं अर्द्धवार्षिक बैठक दिनांक 26 अगस्त, 2025 (मंगलवार) को आयोजित किए जाने की घोषणा की गई ।

<u>धन्यवाद ज्ञापन एव बैठक का समापन</u>

अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथियों और राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि का आभार और बैठक में भाग ले रहे सभी कार्यालय प्रमुख एवं उनके प्रतिनिधिगणों को नराकास की इस 88वीं अर्द्धवार्षिक बैठक में सक्रिय सहभागिता के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(मीना बिष्ट)

KHEM CHAND TIWARI

वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन)
एवं सचिव नराकास(का-1), जयपुर

Digitally signed by
Khem Chand Tiwari
Date: 03-02-2025
11:07:16